



2026:RJ-JP:19219



[2026:RJ-JP:19219]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 82/2026

Ankit S/o Ranjeet, Aged About 22 Years, R/o Litthan,
Police Station Bhulhat, District Kapoorthal (Punjab)
(Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Mukesh Kumar Saini, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Shriram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/05/2026

निगरानी याचिका पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया।

याची-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-15, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 505/2024 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2025 के माध्यम से धारा 140(3) सपठित धारा 3(5), 308(2) सपठित धारा 3(5), 308(5) सपठित धारा 3(5), 115(2) सपठित धारा 3(5), 127(2) सपठित धारा 3(5), 189(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम तीन वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 943/2025 में सुनवाई के दौरान विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा अपने आदेश



दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से अभियुक्त का दण्डादेश स्थगन आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त द्वारा न्यायिक निर्णय Vagta Ram Vs. State of Rajasthan 2012(2) Cr.L.R. (Raj.) 791 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका पोषणीय है, जबकि विद्वान लोक अभियोजक द्वारा निगरानी याचिका का विरोध किया।

चूंकि निगरानी याचिका पोषणीय है, अतः दण्डादेश स्थगन के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया, पुनः अभिलेख का अवलोकन किया।

विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अभियुक्त को परिवादी सुमित व उसके मित्र का व्यपहरण कर तत्काल क्षति कारित करने का भय उत्पन्न कर दस लाख रुपये की राशि बैंक खाते में अन्तरित करवाने के मामले में दोषी करार देते हुए उपरोक्तानुसार दण्डित किया है। अभियुक्त पंजाब राज्य का निवासी है तथा राजस्थान राज्य में उपरोक्तानुसार अपराध कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित माना गया है। अभियुक्त द्वारा अधिरोपित तीन वर्ष की सजा के मुकाबले एक वर्ष पांच माह की अवधि की सजा व्यतीत कर चुका है, पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण संस्थित हुआ है।

अतः सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-याची की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए अभियुक्त की सजा स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है।



परिणामतः यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 17.12.2025 अपास्त किया जाता है तथा याची-अभियुक्त **अंकित पुत्र रणजीत** को आदेश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु **दो लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **एक-एक लाख रुपये** की दो जमानतें उनके संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **14.11.2025** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन विद्वान अपीलीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष याची-अभियुक्त की लंबित अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J